


2022/539
फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

जोआन सहायक कलेक्टर मुकाम बिजना
 रिजवाला कानो डीहसपी गोखमड बनाम फरे ड गोखमड रिजवाली गोखमड
 दमा राबरेय - 51201m-पा 21277न सं. 134/22 सन

रोख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>29/7/22 आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध अ. / वा. दा. पेश किया दर्ज हो। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। निसल दिनांक 30/8/22 पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलेक्टर डीडवाना</p> <p>30/8/22 पत्रावली पेश हुई। बार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा हैं, निसल दिनांक 31/10/22 को पेश हो।</p> <p>31/10/22 वकील प्रार्थी उप.।</p> <p>अप्रार्थीगण के समान तलबाना पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिया जा रहा है। पत्रावली वसने वाली दिनांक 28/12/22 को पेश हो।</p> <p>28/12/22 पत्रावली पेश हुई। बार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा हैं, निसल दिनांक 27/2/22 को पेश हो।</p> <p>20/1/23 पत्रावली पेश हुई। बार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा हैं, निसल दिनांक 12/4/23 को पेश हो।</p> <p>14/6/23 कर्मचारीयों के सामूहिक अवकाश पर रहने के कारण पत्रावली आज पेश हुई। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 12.2.23 को</p> <p>17/7/23 पत्रावली पेश हुई। बार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा हैं, निसल दिनांक 18/2/2024 को पेश हो।</p>	

Presented
Examinee

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18/1/23	<p>पत्रावली पेश हुई । पीछे जाके दोरे/अवकाश पर आज कार्य पर पत्रावली दिनांक 5/9/22 को पेश हो । आदेश से उपस्यण्ड मजिस्ट्रेट, डीडवाना</p>
5/9/23	<p>पत्रावली पेश हुई श्रीमान् P.O. सा. अवकाश, आ. कार्य। दोरे पर पत्रावली हैं, मिसल दिनांक 10/1/23 को पेश हो ।</p>
10/1/23	<p>पत्रावली पेश हुई । कर संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा है, मिसल दिनांक 22/2/24 को पेश हो ।</p>
7/2/24	<p>पत्रावली पेश हुई । कर संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा है, मिसल दिनांक 22/4/24 को पेश हो ।</p>
22/4/24	<p>पत्रावली पेश हुई । श्री मान् P.O. सा. अवकाश/अन्य कार्य/दोरे पर पत्रावली हैं, मिसल दिनांक 24/6/24 को पेश हो ।</p>
28/5/2024	<p>शर्माजी के निवेदन पर पत्रावली आज पेश हुई। शर्माजी का प्रश्न बाद जातिर रिट प्राप्त कारिका होने के कारण यह शर्माजी का केस भी स्थगित नहीं रहे जाय है। अतः प्रश्न बाद के कारिका होने के कारण यह शर्माजी का केस भी जातिर रिट प्राप्त कारिका रिट प्राप्त होने पत्रावली इसी कारण से रजिस्टर प्रश्न बाद के साथ समाप्त है।</p> <p>ideas उपस्यण्ड अधिकारी डीडवाना</p>

